ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Ph. No.: 011- 26131569, 011-29581050, 011-29581000
Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR CATEGORIZATION OF STANDALONE INSTITUTIONS FOR GRANT OF GRADED AUTONOMY

AICTE invites applications from Standalone Institutions offering PG Diploma courses in Management for the grant of Graded Autonomy for the Academic Year 2021-22. The Institutions who are eligible as per the Gazette Notifications F.No. AICTE/P&AP/SIs/2019 shall apply in the format available on
https://facilities.aicte-india.org/survey/graded_autonomy.php

The last date for submission of online application is **06-09-2021.**

Member Secretary, AICTE

Advt. No: Approval Bureau/GA/2021

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 2019/आश्विन 19, 1941
No. 359] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 2019/ASVINA 19, 1941

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआई) का कोटिकरण) दिशानिर्देश, 2019

फा. सं. अभातशिप/पी.एंड ए.पी./एसआई/2019 :– निम्नलिखित सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

उद्देशिका :

यत; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) को स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआई) में उच्चतर शिक्षा के मानकों को अवधारित, प्रवर्तित और अनुरक्षित करने का अधिदेश दिया गया है ;

यत; अभातशिप एक ऐसा समर्थकारी परिवेश सृजित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है जिसके द्वारा स्टैंडअलोन संस्थाएं वैश्विक उत्कृष्टता की संस्थाएं बन सकें ;

यत; अभातशिप यह मान्यता देता है कि उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता को प्रवर्तित और सांस्थानीकृत करने के लिए स्वायत्तता महत्वपूर्ण है तथा विनियामक ढांचे के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्चतर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को सहायता प्रदान करे।

अतः, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 (ख), (छ), (झ) और (ड) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) द्वारा पूर्व में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआई) का कोटिकरण) नामक अधिसूचना, 2019 दिनांक 18 जनवरी, 2019 को जारी की गई थी, उक्त अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, अभातशिप (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं (एसआई) का कोटिकरण) दिशानिर्देश, 2019 अधिसूचित करता है।

ये दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :–

1.	**संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :–**
1.1	इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं का कोटिकरण) **दिशानिर्देश**, 2019 कहा जाएगा।
1.2	ये उन सभी स्टैंडअलोन संस्थाओं पर लागू होंगे जो अभातशिप अधिनियम, 1987 के अनुसार अभातशिप के अनुमोदन के साथ पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को संचालित कर रही हैं।
1.3	ये भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2.	**परिभाषाएं :–** इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
2.1	'प्रत्यायन' से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा, मूल्यांकन अथवा आकलन अथवा मान्यताप्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों द्वारा अनुपालन की गई किन्ही अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों के परिणामस्वरूप किसी स्टैंडअलोन संस्था अथवा उसमें संचालित किसी

	कार्यक्रम (मों) को शैक्षणिक गुणवत्ता के विनिर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मान्यता प्रदान की जाती है ;
2.2	'आकलन' से अभिप्रेत है स्टैंडअलोन संस्था के शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रारंभ होने से पूर्व उसकी भौतिक अवसंरचना, मानव संसाधन (संकाय सहित), प्रशासन, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रवेश और विद्यार्थी मूल्यांकन प्रक्रियाओं तथा प्रशासन संरचना के निबंधनों के अनुसार स्टैंडअलोन संस्था की क्षमताओं का निर्धारण अथवा सत्यापन करने में शामिल प्रक्रिया ;
2.3	'अभातशिप' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है, जैसा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में परिभाषित किया गया है ;
2.4	'अंक' से संचयी अंक अभिप्रेत हैं जैसा राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) अथवा प्रासंगिक अभातशिप विनियमों के अंतर्गत अभातशिप द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य आकलन और प्रत्यायन एजेंसी (एएए) द्वारा अनुपालित किया जाता है ;
2.5	'राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए)' से अन्य के साथ–साथ देश में स्टैंडअलोन संस्थाओं का आकलन करने और प्रत्यायन प्रदान करने के लिए अभातशिप द्वारा स्थापित निकाय अभिप्रेत है ;
2.6	'मुक्त और दूरस्थ अधिगम रीति' से अभिप्रेत है विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए, जिनमें प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाईन और स्टैंडअलोन संस्था अथवा शिक्षार्थी सहायक सेवाओं की उपस्थिति के साथ आकस्मिक आमने–सामने की बैठकें भी शामिल हैं, शिक्षण–अधिगम अनुभव प्रदान करना जिसमें प्रयोगात्मक और कार्य अनुभव भी सम्मिलित हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी की दूरी को समाप्त करते हुए लचीले शिक्षण अवसर उपलब्ध कराने की रीति;
2.7	'फाईनेन्शियल टाईम ग्लोबल एमबीए रैंकिंग' एवं 'क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग' से अभिप्रेत क्रमशः फाईन्शियल टाईम' (यूके आधारित एक प्रमुख समाचार संगठन) पत्रिका तथा क्यूतोरिचि सायमन्ड (Quacquarelli Symonds) (यूके आधारित प्रमुख वैश्विक उच्च शिक्षा कम्पनी) द्वारा रैंकिंग का 'वार्षिक रैंकिंग' प्रकाशन है।
2.8	'स्टैंडअलोन संस्थाओं' से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं हैं, और नियमित अथवा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से अभातशिप के अनुमोदन के साथ पाठ्यक्रम संचालित कर रही हैं जिनके फलस्वरूप प्रबंधन और सहबद्ध क्षेत्रों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा, पोस्ट–डिप्लोमा प्रमाण–पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र और स्नातक डिप्लोमा स्तर, प्रदान किए जाते हैं ; इन दिशानिर्देशों में प्रयोग किए गए परंतु परिभाषित न किए गए, परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 में परिभाषित किए गए और इन दिशानिर्देशों से असंगत शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।
3.	**वर्गीकृत स्वायत्तता प्रदान करने के लिए स्टैंडअलोन संस्थाओं के कोटिकरण हेतु ढांचा** अभातशिप द्वारा अधिसूचित उप–खंड (i), (ii) और (iii) में निर्धारित प्राचालों (पैरामीटर) अभातशिप द्वारा समय–समय पर दिशानिर्देशों के माध्यम से अधिसूचित विस्तृत मानदण्डों के अनुसार स्टैंडअलोन संस्थाओं को निम्नलिखित तीन कोटियों अर्थात् कोटि–I, कोटि–II तथा कोटि–III में कोटिबद्ध करेगा :
3.1	**कोटि– I स्टैंडअलोन संस्था :** i) स्टैंडअलोन संस्था कोटि–I में होगी, यदि – क) यदि कोई संस्थान 3 (तीन) अथवा 3 (तीन) से कम पाठ्यक्रम संचालित कर रही है, तो उसके सभी पाठ्यक्रमों का 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। ख) यदि कोई संस्थान 4 (चार) पाठ्यक्रम संचालित कर रही है, तो उसके न्यूनतम 3 पाठ्यक्रमों को 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। ग) यदि कोई संस्थान 5 (पांच) अथवा 5 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित कर रही है अर्थात् यदि, इसे एन कहा जाए, तो एन–2 पाठ्यक्रमों का 75 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। अथवा ii) संस्थान को ग्लोबल एमबीए रैंकिंग जैसे फाईनेन्शियल टाईम (एफटी) ग्लोबल एमबीए रैंकिंग अथवा क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में से कम से कम किसी एक रैंकिंग में रैंक किए गए पहले 100 संस्थानों में रैंक होना चाहिए।
3.2	**कोटि–II स्टैंडअलोन संस्था :** स्टैंडअलोन संस्था कोटि–II में होगी, यदि – क) यदि कोई संस्थान 3 (तीन) अथवा 3 (तीन) से कम पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, तो उसके सभी पाठ्यक्रमों का 67.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। ख) यदि कोई संस्थान 4 (चार) पाठ्यक्रम संचालित कर रहे है तो उसके न्यूनतम 3 पाठ्यक्रमों का 67.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है। ग) यदि कोई संस्थान 5 (पांच) अथवा 5 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है यदि, इसे एन कहा जाए, तो एन–2 पाठ्यक्रमों का 67.5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक के स्कोर के साथ एनबीए से प्रत्यायित होना अनिवार्य है।
3.3	**कोटि–III स्टैंडअलोन संस्था :** स्टैंडअलोन संस्था कोटि–III में आएगी यदि यह कोटि– I अथवा कोटि– II के अंतर्गत नहीं आती है।

4.	**कोटि–I स्टैंडअलोन संस्था के लिए स्वायत्तता आयाम**
4.1	स्टैंडअलोन संस्था अनुदानों के लिए पात्र होंगी तथा इसके लिए अभातशिप द्वारा कोई निरीक्षण अपेक्षित नहीं होगा।
4.2	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप को सूचित करते हुए ऐसे विषयक्षेत्रों में जो उनके विद्यमान शैक्षणिक ढ़ांचे का एक हिस्सा हैं उनके नवीन और नवोन्मेषी क्षेत्रों में डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नामावलियों के साथ ऐसे विषयक्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। तथापि, सूचना अभातशिप के वेबपोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अपलोड किए जाने पर ऐसे पाठ्यक्रमों को अभातशिप द्वारा मान्यताप्राप्त मान लिया जाएगा। तथापि, नए पाठ्यक्रमों एवं प्रभागों की संख्या दिए गए चक्र (cycle) में स्टैंडअलोन संस्था के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित पाठ्यक्रमों की संख्या से अधिक नहीं होगी और यह अभातशिप के सभी सन्नियमों एवं मानकों के अनुरक्षण के अध्यधीन होगी। इसके साथ (फेलो) के कार्यक्रम स्वायत्ता के दायरे में नही आएंगे, इन्हें अभातशिप के सन्नियमों के अनुसार अभातशिप द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
4.3	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा से संगत ऐसे कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो अभातशिप की अनुमोदित नामावली से संगत हों।
4.4	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना या तो स्वयं का अथवा किसी निजी भागीदार के साथ भागीदारी करते हुए स्ववित्त पोषित रीति से अपना अनुसंधान पार्क, उद्भवन केन्द्र, संस्थान–समाज संपर्क केन्द्र आदि खोल सकेंगी। तथापि, ऐसी सभी व्यवस्थाओं में, समस्त अचल संपत्ति तथा संस्था के संसाधनों के माध्यम से प्राप्त उप/घटक चल संपत्ति के अवयव का स्वामित्व स्टैंडअलोन संस्था के पास रहेगा।
4.5	स्टैंडअलोन संस्थाएं, भारत सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अध्यधीन अभातशिप के अनुमोदन के बिना, उनकी कुल संस्वीकृत संकाय क्षमता के अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक ऐसे विदेशी संकाय की सेवाएं ले सकेंगी जिन्होंने विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग ढांचे, जैसे फाईनेन्शियल टाईम्स ग्लोबल एमबीए रैंकिंग अथवा क्यूएस रैंकिग्स की शीर्षस्थ पांच सौ (500) संस्थाओं में से किसी में शिक्षण कार्य किया हो। स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी शासी परिषदों/सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार आवधिक/संविदा आधार पर विदेशी संकाय को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी।
4.6	स्टैंडअलोन संस्थाएं उनकी अनुमोदित घरेलू विद्यार्थियों की कुल संख्या के अतिरिक्त अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यधीन मैरिट के आधार पर विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगी। स्टैंडअलोन संस्थाएं बिना किसी निर्बंधन के विदेशी छात्रों के लिए शुल्क निर्धारित और प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी। तथापि, इस संदर्भ में भारत में अध्ययन के संबंध में यथालागू अभातशिप के सन्नियम एवं भारत सरकार के नियम लागू होंगे।
4.7	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित वेतन–मानों का अनुपालन करते हुए सुयोग्य संकाय को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना तैयार करेंगी, जिसकी यह शर्त होगी कि इस प्रोत्साहन संरचना के लिए संकाय को भुगतान उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा, न कि अभातशिप या सरकारी निधि से। ऐसी प्रोत्साहन संरचना कड़ाई से मैरिट–आधारित होगीं जिसके स्पष्ट सुपरिभाषित, पारदर्शी और विषयपरक मापदण्ड होंगे तथा यह सार्वभौमिक नहीं होगी। इसे स्टैंडअलोन संस्था के शासी मंडल द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदित किया जाना चाहिए। स्टैंडअलोन संस्था द्वारा उसके शासी मंडल द्वारा प्रोत्साहन संरचना को अनुमोदित किए जाने के तीस दिन के भीतर प्रोत्साहन संरचना की सूचना अभातशिप को दी जाएगी।
4.8	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना फाईनेन्शियल टाईम्स (एफटी) ग्लोबल एमबीए रैंकिंग अथवा क्यूएस रैंकिग्स की शीर्ष 500 विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं अथवा फाईनेन्शियल टाईम्स (एफटी) ग्लोबल एमबीए रैंकिंग अथवा क्यूएस रैंकिंग्स में विषयक्षेत्र निर्दिष्ट शीर्ष 200 रैंकिंग वाली संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोग स्थापित कर सकेंगी।
4.9	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना मुक्त और दूरस्थ शिक्षण माध्यम में पाठ्यक्रमों की पेशकश कर सकेंगी, बशर्ते कि वे अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित सभी सन्नियमों और मानकों की पूर्ति करती हों।
4.10	स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी संस्थाओं और शिक्षण संसाधन केन्द्र(द्रों) के वार्षिक अनुवीक्षण से छूट प्रदान की जाएगी जैसा समय–समय पर यथा संशोधित/आशोधित अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच) में निर्धारित किया गया है, सिवाए तब को छोड़कर, जब वहाँ, इस बात के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हों की वे मूलभूत न्यूनतम मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रही हैं अथवा वहां अनियमितताए और कदाचार विद्यमान है।
4.11	यदि किसी परिनियम अथवा कार्यकारी आदेश के अधीन अभातशिप द्वारा कोई बाह्य समीक्षा की जानी अपेक्षित है, तो यह पर्याप्त होगा कि संस्था विनिर्दिष्ट समीक्षा प्रपत्र में अभातशिप को रिपोर्ट भेजे। संस्था द्वारा प्रत्यायन की अवधि तथा इसकी कोटिकरण की स्थिति (स्टेटस) को भी अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे ही प्रत्यायन की अवधि समाप्त होगी स्वायत्ता की स्थिति (स्टेटस ऑफ ओटोनॉमी) स्वतः ही वापस ले ली जाएगी, जब तक कि संस्थान स्वयं प्रत्यायन प्राप्त न कर ले।
5	**कोटि–II स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए स्वायत्तता आयाम**
5.1	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप को सूचित करते हुए ऐसे विषयक्षेत्रों में जो उनकी विद्यमान शैक्षणिक ढ़ांचे का एक हिस्सा हैं उनके नवीन और नवोन्मेषी क्षेत्रों में अभातशिप के अनुमोदन के बिना डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नामावलियों के ऐसे विषयक्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। तथापि, नए पाठ्यक्रमों एवं प्रभागों की संख्या दिए गए चक्र (cycle) में स्टैंडअलोन संस्था के राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित पाठ्यक्रमों की संख्या से अधिक नहीं होगी और यह अभातशिप के सभी सन्नियमों एवं मानकों के अनुरक्षण के अध्यधीन होगी। इसके साथ (फेलो) के कार्यक्रम स्वायत्ता के दायरे में नही आएंगे, इन्हें अभातशिप के सन्नियमों के अनुसार अभातशिप द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5.2	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा से संगत ऐसे कौशल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगी, जो अभातशिप की अनुमोदित नामावली से संगत हों।
5.3	स्टैंडअलोन संस्थाएं, भारत सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अध्यधीन अभातशिप के अनुमोदन के बिना, उनकी कुल संस्वीकृत संकाय क्षमता के अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक ऐसे विदेशी संकाय की सेवाएं ले सकेंगी जिन्होंने विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग ढांचे, जैसे फाईनेन्शियल टाईम्स (एफटी) ग्लोबल एमबीए रैंकिंग अथवा क्यूएस रैंकिग्स की शीर्षस्थ पांच सौ (500) संस्थाओं में से किसी में शिक्षण कार्य किया हो। स्टैंडअलोन संस्थाओं को उनकी शासी परिषदों/सांविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित निबंधन और शर्तों के अनुसार आवधिक/संविदा आधार पर विदेशी संकाय को नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी।
5.4	स्टैंडअलोन संस्थाएं उनकी अनुमोदित घरेलू विद्यार्थियों की कुल संख्या के अतिरिक्त अधिकतम बीस प्रतिशत के अध्यधीन मैरिट के आधार पर विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र होंगी। तथापि इस संदर्भ में, भारत में अध्ययन के संबंध में यथालागू अभातशिप सन्नियम एवं मानक तथा भारत सरकार के नियम लागू होंगे।
5.5	स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित वेतन–मानों का अनुपालन करते हुए सुयोग्य संकाय को आकर्षित करने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना तैयार करेंगी, जिसकी यह शर्त होगी कि इस प्रोत्साहन संरचना के लिए संकाय को भुगतान उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा, न कि अभातशिप या सरकारी निधि से। ऐसी प्रोत्साहन संरचना कड़ाई से मैरिट–आधारित होगीं जिसके स्पष्ट रूप से सुपरिभाषित, पारदर्शी और विषयपरक मापदण्ड होंगे तथा यह सार्वभौमिक नहीं होगी। इसे स्टैंडअलोन संस्था के शासी मंडल द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदित किया जाना चाहिए। स्टैडअलोन संस्था द्वारा उसके शासी मंडल द्वारा प्रोत्साहन संरचना को अनुमोदित किए जाने के तीस दिन के भीतर प्रोत्साहन संरचना की सूचना अभातशिप को दी जाएगी।
5.6	सूचनाओं का अनिवार्य प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की आवधिक समीक्षा स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप की आदर्श शासी सरंचना को अपनाएंगी तथा अपने प्रकार्यों में पूर्णतः पारदर्शिता अनुरक्षित करेंगी। प्रबंधन, वित्त, शिक्षण तथा अन्य शुल्क, प्रवेश–क्षमता/नामांकन/नौकरियां दिलाने (प्लेसमेंट) तथा संकाय के संबंध में डाटा अभातशिप के नियमानुसार अभातशिप को उपलब्ध करवाएंगी। अभातशिप ऐसी स्टैंडअलोन संस्थाओं, जिन्हें स्वायत्ता प्रदान की गई हैं, की न्यूनतम 5 वर्ष में एक बार आवधिक आधार पर समीक्षा करेगा। प्रदान की गई स्वायत्ता, प्रत्येक वर्ष प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा होने तक की, पूर्णावधि के लिए, जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता एवं यथा लागू प्रात्यायन के सिद्धान्तों पर निर्भर होगीं। संस्था द्वारा प्रत्यायन की अवधि तथा इसकी कोटिकरण की स्थिति (स्टेटस) को भी अनिवार्यतः प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे ही प्रत्यायन की अवधि समाप्त होगी स्वायत्ता की स्थिति (स्टेटस ऑफ ओटोनॉमी) स्वतः ही वापस ले जी जाएगी, जब तक कि संस्था स्वयं प्रत्यायन प्राप्त न कर ले।
6	**खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंकों अथवा रैंकिंगों के अनुरक्षण न किए जाने पर स्टैंडअलोन संस्थाओं की कोटि में परिवर्तन करने के लिए**
6.1	कोटि–I और कोटि– II के अधीन स्टैंडअलोन संस्थाएं तब तक अपनी संबंधित कोटियों में बनी रहेंगी, जब तक वे उस कोटि के लिए, यथास्थिति, खंड 3 में यथा परिभाषित प्रत्यायन अंकों अथवा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंगों से संबंधित अपेक्षित मापदण्डों को अनुरक्षित करती हैं।
6.2	स्टैंडअलोन संस्था के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी परिवर्तित स्थिति के बारे में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर अभातशिप को सूचित करे।
6.3	यदि स्टैंडअलोन संस्था किसी कोटि में अपनी स्थिति अनुरक्षित करने में विफल रहती है और निम्न कोटि में नीचे चली जाती है, तो यह ऐसे अधोनति के दिन से ही इसे पहले प्रदान किए गए विशेषाधिकारों का लाभ उठाने की पात्र नहीं होगी : परंतु यह कि, तत्कालीन उच्च स्थिति के साथ सहयोजित विशेषाधिकारों के अधीन की गई किसी भी प्रकार की पहल को उसकी अनुमोदित अवधि/औचित्यपूर्ण समाप्ति तक जारी रखे जाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि प्रारंभ किए गए क्रियाकलाप/कार्यवाही की सूचना पूर्व में अभातशिप को दी गई है : परंतु यह भी कि, यदि ऐसी स्टैंडअलोन संस्था अपनी पूर्व की उच्च स्थिति पुनः प्राप्त कर लेती है, तो उस उच्च कोटि के विशेषाधिकार उसके दर्जे में हुए परिवर्तन की तारीख से उसे पुनः प्रदान कर दिए जाएंगे।
6.4	सभी स्टैंडअलोन संस्थाओं को अभातशिप पोर्टल पर विद्यार्थियों के आंकड़े प्रस्तुत (अपलोड) करने होंगे तथा राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) में अनिवार्यतः रजिस्टर करेंगे।
6.5	यदि ये उपर्युक्तानुसार अपलोड नहीं किए गए हैं, तो अभातशिप संस्था को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमोदन नहीं देगी अथवा अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगी।
7	**स्टैंडअलोन संस्थाओं के कोटिकरण के लिए प्रक्रिया**
7.1	अभातशिप वे तारीखें निर्धारित करेगी (एक वर्ष में कम–से–कम दो बार, विशेषतः 1 जून और 1 दिसम्बर) जिस तक संस्था इन विनियमों के अधीन कोटिकरण के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अनुरोध प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार निर्धारित की गई तारीख को कम–से–कम तीन माह पूर्व अधिसूचित किया जाएगा।
7.2	ऐसे सभी आवेदनों की संवीक्षा अभातशिप द्वारा की जाएगी तथा कोटिकरण पर आदेश ऐसे आवेदनो की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर पारित किए जाएंगे। इस अवधि के भीतर, संस्था और अभातशिप, दोनों ही ऐसे आवेदनों को अपनी–अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

8	**स्टैंडअलोन संस्थाओं की कोटि–I अथवा कोटि–II के अधीन पात्रता के लिए मापदण्डों/अपेक्षाओं में परिवर्तन, यदि कोई है** जब कभी ऊपर विनियम (3) में यथा वर्णित कोटिकरण मापदण्डों में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे अभातशिप द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
9	**सूचनाओं का अनिवार्य प्रकटन एवं स्वायत्तता की आवधिक समीक्षा** स्टैंडअलोन संस्थाएं अभातशिप की आदर्श शासी सरंचना को अपनाएंगी तथा अपनी प्रकार्यों में पूर्णतः पारदर्शिता अनुरक्षित करेंगी : प्रबंधन, वित्त, शिक्षण तथा अन्य शुल्क, प्रवेश–क्षमता/नामांकन/नौकरियां दिलाने (प्लेसमेंट) तथा संकाय के संबंध में डाटा अभातशिप के नियमानुसार अभातशिप को उपलब्ध करवाएंगी।
10	**वर्गीकृत स्वायत्तता दिशानिर्देश बनाम अन्य विनियम** **दिशानिर्देशों** के खंड 4 और 5 में उल्लिखित उपबंध अर्थात् क्रमशः कोटि–I स्टैंडअलोन संस्थाओं और कोटि–II स्टैंडअलोन संस्थाओं के लिए स्वायत्तता आयाम, अन्य अभातशिप विनियमों में किसी असंगत/विवादास्पद उपबंध के मामले में अभिभावी होंगे।
11	**सभी संस्थाएं अभातशिप द्वारा समय समय पर अधिसूचित लोक शिकायत निवारण तंत्र का अनुपालन करेंगी।**
12	**कठिनाईयों का निराकरण** अभातशिप के पास भारत सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाई/कठिनाईयों का निराकरण करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रो० राजीव कुमार, सदस्य सचिव, अभातशिप

[**विज्ञापन** –III/4/**असा./246/19**]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2019

All India Council for Technical Education [Categorisation of Standalone Institutions (SIs) for Grant of Graded Autonomy] Guidelines, 2019

F. No. AICTE/P&AP/SIs/2019:- The following is published for general information:—

Preamble

Whereas All India Council for Technical Education (AICTE) is mandated to determine, promote and maintain the standards of higher education in Standalone Institutions;

Whereas, AICTE recognizes the need to create an enabling environment whereby Standalone Institutions can become institutions of global excellence;

Whereas, AICTE recognizes that autonomy is pivotal in promoting and institutionalizing excellence in higher education and that the regulatory framework needs to facilitate better performing institutions towards excellence in higher education.

AICTE earlier issued Gazette Notification titled "All India Council for Technical Education (Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy) Regulations, 2019" on 18th January, 2019 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 23 read with section 10(b) (g) (i) (m) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 and in supersession of these regulations, notifies the AICTE (Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy) Guidelines, 2019". These guidelines are as follows: -

1. Short title, application and commencement: -

1.1. These guidelines shall be called the All India Council for Technical Education (Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy) Guidelines, 2019.

1.2. They shall apply to all Standalone Institutions conducting courses/programmes with the approval of AICTE as per AICTE Act, 1987.

1.3. They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette of India.

2. Definitions: -

In these guidelines, unless the context otherwise requires: -

2.1. "Accreditation" means the process of quality control in higher education, whereby, as a result of evaluation or assessment or by any other scientific method followed by recognized accreditation agencies, a Standalone Institution or programme(s) conducted therein is recognised as conforming to benchmarked parameters of academic quality;

2.2. "Assessment" means the process involved in ascertaining or verifying the capabilities of Standalone Institution in terms of its physical infrastructure, human resources (including faculty), administration, course curricula, admission and student evaluation procedures and governance structure prior to the commencement of its academic programmes;

2.3. "AICTE" means the All India Council for Technical Education as defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987;

2.4. "Score" means the cumulative score as followed by the NBA or any other Assessment and Accreditation Agencies (AAA) recognized by the AICTE under relevant AICTE regulations, while granting accreditation;

2.5. "National Board of Accreditation (NBA)" means the body established by the AICTE to assess and accredit among others the Standalone Institutions in the country;

2.6. "Open & Distance Learning" mode means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the presence of a Standalone Institution or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;

2.7. "Financial Times Global MBA Ranking" and "QS Global MBA Ranking means annual publication of rankings by Financial Times" (a UK based leading News Organization) Magazine and by QS Quacquarelli Symonds (a UK based leading global higher education company) respectively;

2.8. "Standalone Institutions" means those institutions which are not affiliated to any of the Universities, and imparting courses through regular or through Open and Distance Learning Systems, leading to Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma Levels in Management and allied areas, Computer Applications and Travel and Tourism with the approval of AICTE;

Words and expressions used and not defined in these guidelines, but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 and not consistent with these guidelines shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Framework for Categorization of Standalone Institutions for Grant of Graded Autonomy

The AICTE shall categorize Standalone Institutions into following three categories i.e. Category-I, Category-II and Category-III based on the parameters laid down in sub-clauses (i), (ii) and (iii) and as notified by the AICTE through the detailed guidelines from time to time.

3.1. Category-I Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-I if;

(i)

a. The Institute is running 3 or less than 3 numbers of courses, then all the courses must be NBA accredited with a 75% or more score.

b. the institute is running 4 courses then at least 3 courses must be NBA accredited with a 75% or more score.

c. the institute is running 5 or more than 5 courses, say N number, then at least N-2 courses must be NBA accredited with a 75% or more score.

or

ii. the institute is ranked within the first 100 ranks in Global MBA Rankings in at least one of the ranking schemes viz., the Financial Times (FT) Global MBA Ranking or the QS Global MBA Ranking.

3.2. Category-II Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-II if

i. the Institute is running 3 or less than 3 courses, then all the courses must be NBA accredited with a 67.5% or more score.

ii. the institute is running 4 courses then at least 3 courses must be NBA accredited with a 67.5% or more score.

iii. the institute is running 5 or more than 5 courses, say N number, then at least N-2 courses must be NBA accredited with a 67.5% or more score.

3.3. Category-III Standalone Institution:

Standalone Institution shall be in Category-III if it does not come either under Category-I or Category-II.

4. Dimensions of Autonomy for Category-I Standalone Institutions

4.1. Standalone Institutions shall be eligible for grants and no inspections by the AICTE shall be required for the same.

4.2. Standalone Institutions may start new courses/programmes in disciplines that form a part of its existing academic framework with the nomenclature of Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs. However, information has to be uploaded in AICTE Web Portal and upon uploading the same; such courses shall be treated deemed to be recognized by AICTE.

However, number of new courses and divisions shall not exceed the number of NBA Accredited courses in the given cycle and subject to maintaining all AICTE norms and standards. Fellow Programme shall not be in the ambit of Autonomy, which shall be approved by AICTE as per norms.

4.3. Standalone Institutions may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the AICTE, consistent with the approved nomenclature of AICTE.

4.4. Standalone Institutions may open research parks, incubation centres, institute society linkage centres, in self-financing mode, either on its own or in partnership with private partners, without approval of AICTE. However, in all such arrangements, the ownership of all immovable property and that component of movable property procured through the resources of the Institution shall remain with the Standalone Institution.

4.5. Standalone Institutions, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of Government of India, may hire, without approval of the AICTE, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred (500) of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Financial Times (FT) Global MBA Ranking or the QS Ranking, up to twenty percent over and above on their total sanctioned faculty strength. Standalone Institutions will have the freedom to hire foreign faculty on "tenure/contract" basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.

4.6. Standalone Institutions shall be free to admit foreign students on merit, subject to a maximum of twenty percent, over and above the strength of their approved domestic students.

However, AICTE Norms, Standards and rules of Govt. of India such as Study in India are applicable in this regard.

4.7. Standalone Institutions, while following the pay scales as laid down by the AICTE, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from AICTE or Government funds. The such incentive structure shall be strictly merit based with clearly defined, transparent and objective criteria and shall not be universal. It must necessarily be approved by the Board of Governors of the Standalone Institution. The AICTE shall be informed about the incentive structure within thirty days of approval by the Board of Governors of the Standalone Institution.

4.8. Standalone Institutions may engage in academic collaborations with foreign institutions in the top 500 of Financial Times (FT) Global MBA Ranking or QS Ranking or top 200 of discipline specific ranking in Financial Times (FT) Global MBA Ranking or QS Ranking without approval of the AICTE.

4.9. Standalone Institutions may offer courses in the Open and Distance Learning mode, without approval of the AICTE, provided it satisfies all the norms and standards laid down by AICTE from time to time.

4.10. Standalone Institutions shall be exempted from annual monitoring of their institutions and learning resource centre(s) as stipulated under AICTE Approval Process Handbook (APH) as amended /modified from time to time, except when there is substantive evidence of their not meeting basic minimum criteria or of irregularities or malpractices.

4.11. In case there is any external review required by the AICTE under any statute or executive order, then it would be sufficient that the institution sends a report to the AICTE in a prescribed review format.

The institution should also mandatorily disclose the period of accreditation and its category status. Once the accreditation period is over, the status of autonomy automatically stands withdrawn unless institute gets itself accredited.

5. Dimensions of Autonomy for Category-II Standalone Institutions

5.1. Standalone Institutions may start a new course/programme in disciplines that form a part of its existing academic framework without approval of the AICTE with the nomenclature of Diploma, Post Diploma Certificate, Post Graduate Certificate and Post Graduate Diploma in new and innovative areas that are relevant to local, national or international needs, with information to the AICTE.

However, number of new courses and divisions shall not exceed number of NBA Accredited courses in the given cycle and subject to maintaining all AICTE norms and standards. Fellow Programme shall not be in the ambit of Autonomy, which shall be approved by AICTE as per norms.

5.2. Standalone Institutions may start skill courses, consistent with the National Skills Qualification Framework, without approval of the AICTE, consistent with the approved nomenclature of AICTE.

5.3. Standalone Institutions, subject to the Rules, Regulations and Guidelines of Government of India, may hire, without approval of the AICTE, foreign faculty having taught at any institution appearing in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks, such as the Financial Times (FT)

Global MBA Ranking or the QS Ranking, up-to twenty percent over and above on their total sanctioned faculty strength. Standalone Institutions will have the freedom to hire foreign faculty on "tenure/contract" basis as per the terms and conditions approved by their Governing Council/Statutory bodies.

5.4. Standalone Institutions shall be free to admit foreign students on merit, subject to a maximum of twenty percent, over and above of the strength of their approved domestic students. However, AICTE Norms, Standards and rules of Govt. of India such as Study in India are applicable in this regard.

5.5. Standalone Institutions, while following the pay scales as laid down by the AICTE, shall build in an incentive structure to attract talented faculty, with the condition that the incentive structure shall have to be paid from their own revenue sources and not from AICTE or Government funds. The such incentive structure shall be strictly merit based with clearly defined, transparent and objective criteria and shall not be universal. It must necessarily be approved by the Board of Governors of the Institution. The AICTE shall be informed about the incentive structure within thirty days of approval by the Board of Governors of the Institution.

5.6. Mandatory disclosure of information & periodic review of autonomy:

Standalone institutions will adopt the AICTE Model Governance Structure and maintain utmost transparency in its functioning. All information relating to management, finance, tuition and other fees, data relating to intake/enrolment/placement and faculty shall be provided to AICTE as per its norms.

AICTE shall periodically review the functioning of Standalone Institutions which have been granted autonomy at least once in 5-years. The autonomy granted shall be contingent upon the principle of accountability and transparency and the accreditation as applicable should be valid for the entire duration of the course for which the students are admitted in each year.

The institution should also mandatorily disclose the period of accreditation and its category status. Once the accreditation period is over the status of autonomy automatically stands withdrawn unless institute gets itself accredited.

6. Change in Category of Standalone Institutions for non-maintenance of accreditation score or ranking as defined in Clause 3.

6.1. Standalone Institutions under Category-I and Category-II shall continue to be in their respective categories as long as they maintain the required parameters related to accreditation score or international ranking as defined in Clause 3, as the case may be, for that category.

6.2. It shall be incumbent upon Standalone Institution to intimate the AICTE, its changed status within thirty days of such a change.

6.3. If Standalone Institution fails to maintain status in a category and moves down to a lower category, it shall not be entitled to enjoy any privileges already accorded to it from the day of such downgrading:

Provided that any kind of initiatives taken under the privileges associated with erstwhile higher status shall be permitted to continue till their approved duration / logical conclusion, provided that the activity/action initiated has been communicated previously to the AICTE:

Provided further that if such Standalone Institution regains its earlier, higher status, the privileges of that higher category shall be restored from the day the status is changed.

6.4. All Standalone Institutions shall have to submit student's data on AICTE portal and must register at the National Academic Depository (NAD).

6.5. In case it is not uploaded as above, the AICTE may not grant approval to the Institution for the next academic year or impose penalties as per Approval Process Handbook of AICTE.

7. Procedure for Categorization of Standalone Institutions

7.1. The AICTE shall fix the dates (at least two times in a year, preferably 1st of June and 1st of December) by which an institution shall submit a request in prescribed format for categorization under these Regulations. The dates so fixed shall be notified at least three months in advance.

7.2. All such applications shall be scrutinized by the AICTE and orders on Categorization shall be passed within thirty days from the last date specified for the receipt of such applications. During this period, the Institution and the AICTE shall put both place such application on their websites.

8. Change in parameters/requirements, if any, for eligibility under Category-I or Category-II of Standalone Institutions.

Whenever there is a change in the categorization parameters as detailed in Regulation (3) above, it shall be notified by the AICTE separately.

9. Mandatory Disclosure of Information & Periodic Review of Autonomy

Standalone institutions will adopt the AICTE Model Governance Structure and maintain utmost transparency in its functioning. All information relating to management, finance, tuition and other fees, data relating to intake/ enrolment/ placement and faculty shall be provided to AICTE as per its norms.

10. Graded Autonomy Guidelines vis-à-vis other Regulations

The provisions mentioned in the clause 4 and 5 of the guideline i.e. dimensions of autonomy for Category-I Standalone Institutions and Category-II Standalone Institutions, respectively, shall prevail in case of any inconsistent/conflicting provisions in the other AICTE Regulations.

11. All institutions will have to follow the Public Grievance Mechanism as notified by AICTE from time to time.

12. Removal of Difficulties

AICTE reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementation of these guidelines in consultation with the Government of India/ Ministry of Human Resource Development.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy. AICTE

[ADVT.-III/4/Exty./246/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.15 15:58:35 +05'30'